

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 1231 / 2013

संस्थित दि.: 24 / 12 / 2013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

अब्दुल राजिक कुरैशी पिता अब्दुल रफीक कुरैशी उम्र 32 साल

जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 11 कुम्हारी मोहल्ला बैहर थाना बैहर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(दिनांक 25 / 02 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 429 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 18.12.2013 को 07:30 बजे स्थान बिरवा ठाकुर टोला कुन्दन यादव के घर के सामने रोड थाना बैहर के अन्तर्गत टाटा वाहन क्रमांक एम.पी.50-एल.ए.0441 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं फरियादी सोनूसिंह के बछड़े को उक्त वाहन से टक्कर मारकर विकलांग कर/निरूपयोगी बनाकर रिष्टि कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सोनूसिंह ने दिनांक 19.12.2013 को आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 18.12.2013 को उसका बछड़ा (गोरा) उम्र करीब 04 वर्ष जंगल तरफ से चरकर आ रहा था शाम को करीबन 07:30 बजे कुन्दन यादव के घर के सामने माल ढोने वाले वाहन क्रमांक एम.पी.50-एल.ए.0441 का चालक वाहन को तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और उसके बछड़े को टक्कर मार दिया जिससे उसके बछड़े के सामने के दांये पैर एवं उपरी हिस्से में चोट आई। फरियादी की

रिपोर्ट पर वाहन क्रमांक एम.पी.50—एल.ए.0441 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 193/2013 अन्तर्गत धारा 279, 429 भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर वाहन क्रमांक एम.पी.50—एल.ए.0441 के चालक अब्दुल राजिक कुरैशी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 429 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 429 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी तथा फरियादी के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 429 के आरोप में दोषमुक्त किया गया तथा आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में विचारण किया जा रहा है।

(05) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है।

(06) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :—

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 18.12.2013 को 07:30 बजे स्थान बिरवा ठाकुर टोला कुन्दन यादव के घर के सामने रोड थाना बैहर के अन्तर्गत टाटा वाहन क्रमांक एम.पी.50—एल.ए.0441 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(07) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता राजकुमार सिंह (अ.सा. 8) का कहना है कि उसने दिनांक 19.12.2013 को फरियादी सोनूसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 193/2013 धारा 279, 429 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्रदर्श पी-01 है। दिनांक 19.12.2013 को किशोर की निशादेही पर घटनास्थल का

नजरी नक्शा प्रदर्श पी-03 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी सोनूसिंह एवं गवाह किशोर, अन्नसिंह, राजेन्द्र, दुर्गेश, लोकेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। फरियादी सोनूसिंह के बछड़े के पैर एवं उपरी हिस्से में आई चोट के संबंध में उसने नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-02 बनाया था। आरोपी अब्दुल राजिक के मोटरयान अधिनियम की धारा 133 के तहत लिखित नोटिस के माध्यम से वाहन को कौन चला रहा था जानकारी प्राप्त करने पर आरोपी अब्दुल राजिक ने प्रदर्श पी-01 में स्वयं के द्वारा घटना दिनांक को वाहन चलाया जाना बताया था। दिनांक 23.12.2013 को आरोपी अब्दुल राजिक से साक्षियों के समक्ष वाहन क्रमांक एम.पी. 50-एल.ए.0441 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-06 बनाया था। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-09 बनाया था। बछड़े का डॉक्टरी मुलाहिजा कराकर रिपोर्ट को चालान के साथ संलग्न किया था। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया था।

**(08)** अभियोजन साक्षी डॉक्टर आशीष वैध (अ.सा. 5) का कहना है कि दिनांक 19.12.2013 पशु चिकित्सालय बैहर में पशु चिकित्सक के पद पर कार्यरत् रहते हुये एक बछड़ा जिसकी उम्र करीब 03 वर्ष थी थाना बैहर के प्रतिवेदन पर मुलाहिजा परीक्षण हेतु लाने पर उसने बछड़े के मुलाहिजा परीक्षण में बछड़े के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं होना पाया था एवं बछड़े के सामने के दाहिने पैर के खूर में एक कटा हुआ घाव होना पाया था। बछड़े को आई चोट बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई बछड़े की मुलाहिजा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-04 है।

**(09)** अभियोजन साक्षी/फरियादी सोनूसिंह (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना दिनांक 18.12.2013 को उसने उसके बछड़े को जंगल में चरने के लिए छोड़ा था कि शाम को करीब 07:00 बजे जब उसका बछड़ा नहीं आया तो वह उसे ढूढ़ने निकला तो उसे उसका बछड़ा रोड के किनारे पड़ा हुआ मिला था किसी वाहन ने टक्कर मारकर उसके बछड़े को चोट पहुंचाई थी। घटना की रिपोर्ट उसने आरक्षी केन्द्र बैहर में की थी जो प्रदर्श पी-02 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-02 बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने वाहन क्रमांक एम.पी.

50—एल.ए.0441 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके सामने टक्कर मारी थी।

(10) अभियोजन साक्षी किशोर चौहान (अ.सा. 2) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 नहीं बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है घटना दिनांक 18.12.2013 को सुबह 07:00 बजे आरोपी ने वाहन क्रमांक एम.पी.50—एल.ए.0441 को बिरवा ठाकुरटोला कुंदन यादव के घर के सामने सड़क पर तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर सोनूसिंह के बछड़े को टक्कर मार दी थी।

(11) अभियोजन साक्षी अन्नूसिंह (अ.सा. 3), राजेन्द्र (अ.सा. 4), लवकेश (अ.सा. 6) एवं दुर्गेश (अ.सा. 7) घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उनके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है घटना दिनांक 18.12.2013 को सुबह 07:00 बजे आरोपी ने वाहन क्रमांक एम.पी.50—एल.ए.0441 को बिरवा ठाकुरटोला कुंदन यादव के घर के सामने सड़क पर तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर सोनूसिंह के बछड़े को टक्कर मार दी थी।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिए आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी सोनूसिंह (अ.सा. 1), किशोर चौहान (अ.सा. 2), अन्नूसिंह (अ.सा. 3), राजेन्द्र (अ.सा. 4), लवकेश (अ.सा. 6), दुर्गेश (अ.सा. 7) को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। फरियादी सोनूसिंह (अ.सा. 1) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन का प्रकरा सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता राजकुमार सिंह (अ.सा. 8) का कहना है कि उसने दिनांक 19.12.2013 को फरियादी सोनूसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 193/2013 धारा 279, 429 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी



जो प्रदर्श पी-01 है। दिनांक 19.12.2013 को किशोर की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-03 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी सोनूसिंह एवं गवाह किशोर, अन्नसिंह, राजेन्द्र, दुर्गेश, लोकेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। फरियादी सोनूसिंह के बछड़े के पैर एवं उपरी हिस्से में आई चोट के संबंध में उसने नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-02 बनाया था। आरोपी अब्दुल राजिक के मोटरयान अधिनियम की धारा 133 के तहत लिखित नोटिस के माध्यम से वाहन को कौन चला रहा था जानकारी प्राप्त करने पर आरोपी अब्दुल राजिक ने प्रदर्श पी-01 में स्वयं के द्वारा घटना दिनांक को वाहन चलाया जाना बताया था। दिनांक 23.12.2013 को आरोपी अब्दुल राजिक से साक्षियों के समक्ष वाहन क्रमांक एम.पी. 50-एल.ए.0441 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-06 बनाया था। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-09 बनाया था। बछड़े का डॉक्टर मुलाहिजा कराकर रिपोर्ट को चालान के साथ संलग्न किया था। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया था।

(15) अभियोजन साक्षी डॉक्टर आशीष वैध (अ.सा. 5) का कहना है कि दिनांक 19.12.2013 पशु चिकित्सालय बैहर में पशु चिकित्सक के पद पर कार्यरत रहते हुये एक बछड़ा जिसकी उम्र करीब 03 वर्ष थी थाना बैहर के प्रतिवेदन पर मुलाहिजा परीक्षण हेतु लाने पर उसने बछड़े के मुलाहिजा परीक्षण में बछड़े के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं होना पाया था एवं बछड़े के सामने के दाहिने पैर के खूर में एक कटा हुआ घाव होना पाया था। बछड़े को आई चोट बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई बछड़े की मुलाहिजा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-04 है।

(16) अभियोजन साक्षी/फरियादी सोनूसिंह (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना दिनांक 18.12.2013 को उसने उसके बछड़े को जंगल में चरने के लिए छोड़ा था कि शाम को करीब 07:00 बजे जब उसका बछड़ा नहीं आया तो वह उसे ढूँढने निकला तो उसे उसका बछड़ा रोड के किनारे पड़ा हुआ मिला था किसी वाहन ने टक्कर मारकर उसके बछड़े को चोट पहुंचाई थी। घटना की रिपोर्ट उसने आरक्षी केन्द्र बैहर में की थी जो प्रदर्श पी-02 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-02 बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी

ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने वाहन क्रमांक एम.पी. 50-एल.ए.0441 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके सामने टक्कर मारी थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने आरोपी द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी. 50-एल.ए.0441 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके बछड़े को टक्कर मारने वाली बात पुलिस को नहीं बतायी थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि उसने पुलिस के कहने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं नुकसानी पंचनामा पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(17) अभियोजन साक्षी किशोर चौहान (अ.सा. 2) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-03 नहीं बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है घटना दिनांक 18.12.2013 को सुबह 07:00 बजे आरोपी ने वाहन क्रमांक एम.पी.50-एल.ए.0441 को बिरवा ठाकुरटोला कुंदन यादव के घर के सामने सड़क पर तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर सोनूसिंह के बछड़े को टक्कर मार दी थी।

(18) अभियोजन साक्षी अन्नूसिंह (अ.सा. 3), राजेन्द्र (अ.सा. 4), लवकेश (अ.सा. 6) एवं दुर्गेश (अ.सा. 7) घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उनके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है घटना दिनांक 18.12.2013 को सुबह 07:00 बजे आरोपी ने वाहन क्रमांक एम.पी.50-एल.ए.0441 को बिरवा ठाकुरटोला कुंदन यादव के घर के सामने सड़क पर तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर सोनूसिंह के बछड़े को टक्कर मार दी थी।

(17) प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता राजकुमार सिंह (अ.सा. 8) के कथनों एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी सोनूसिंह (अ.सा. 1), किशोर चौहान (अ.सा. 2), अन्नूसिंह (अ.सा. 3), राजेन्द्र (अ.सा. 4), लवकेश (अ.सा. 6) एवं दुर्गेश (अ.सा. 7) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। साक्षी अन्नूसिंह (अ.सा. 3), राजेन्द्र (अ.सा. 4), लवकेश (अ.सा. 6) एवं दुर्गेश (अ.सा. 7) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं करने तथा साक्षी सोनूसिंह (अ.सा. 1) के

कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से आरोपी अब्दुल राजिक कुरैशी ने दिनांक 18.12.2013 को 07:30 बजे स्थान बिरवा ठाकुर टोला कुन्दन यादव के घर के सामने रोड थाना बैहर के अन्तर्गत टाटा वाहन क्रमांक एम.पी.50-एल.ए.0441 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(18) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी अब्दुल राजिक कुरैशी ने दिनांक 18.12.2013 को 07:30 बजे स्थान बिरवा ठाकुर टोला कुन्दन यादव के घर के सामने रोड थाना बैहर के अन्तर्गत टाटा वाहन क्रमांक एम.पी.50-एल.ए.0441 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

(19) परिणाम स्वरूप आरोपी अब्दुल राजिक कुरैशी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(20) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(21) प्रकरण में जप्तशुदा पीकअप वेन क्रमांक एम.पी.50-एल.ए.0441 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)